CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

First draft received: 12.06.2023, Reviewed: 18.06.2023, Accepted: 26.06.2023, Final proof received: 30.06.2023

भारत में स्त्री शिक्षा का इतिहास व विकास

डॉ. विनीता चौधरी
एसोसियेट प्रोफेसर
डी डब्लू टी कॉलेज , देहरादून, उत्तराखण्ड
Email - drvineeta173@gmail.com, *Mob.-8433277476*

सारांश

परम्परागत रूप से भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भू–भागों की तुलना में महिलाओं की स्थिति उच्च थी। विश्व का अन्य कोई भी धर्म स्त्री को इतनी अधिक प्रधानता नहीं देता था। वैदिक कालीन समाज में पुत्र और पुत्री दोनों को द्विजत्व प्रदान करने की परम्परा थी। उत्तर वैदिक काल तकें कर्मकांडों में जटिलता आ जाने के फलस्वरूप यज्ञ कार्यों में आडम्बर होते जिसके कार.ा स्त्रियों की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, व आर्थिक स्थितियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगने लगा। उत्तर वैदिक समाप्ति तथा बौद्धकाल के प्रारम्भ के साथ ही स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी प्रारम्भ हो गयी जो कि मुगल काल तक बनी रहीद्य अंग्रेजों के भारत आगमन के महिलाओं के स्थिति में यद्यपि बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारकों की बुद्धिमति सलाह के अनुसार उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं की गरिमा और गौरव को वापस लाने के लिए अनेक प्रविधान के साथ ही उनकी शिक्षा हेतु विद्यालय व विश्वविद्यालय खोले, और निरन्तर प्रयासों से आजादी के बाद से ले कर भारत में स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हुई है।

मुख्य शब्द : *शिक्षा, स्त्री, दशा, सुधार, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि।*

प्रस्तावना

परम्परागत रूप से भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भू–भागों की तुलना में महिलाओं की स्थिति उच्च थी। विश्व का अन्य कोई भी धर्म स्त्री को इतनी अधिक प्रधानता नहीं देता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में स्त्री के विकास के साथ साथ उसकी उन्नति व अवनति, और उस पर लगने वाले प्रतिबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। जा कि विभिन्न कालों में स्त्रियों की भिन्न–भिन्न स्थितियों का एतिहासिक स्रोत है। जब भी हम महिलाओं की परिस्थिति पर दृष्टिपात करते है तो ज्ञात होता है , कि परम्परागत रूप से भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भू–भागों की तुलना में महिलाओं की स्थिति उच्च थी। विश्व का अन्य कोई भी धर्म स्त्री को इतनी अधिक प्रधानता नहीं देता था।

वैदिककालीन धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर द्वारा इस संसार के दो भाग करके एक पुरूष तथा दूसरा स्त्री का स्वरुप बनाया जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्री और पुरूष को समान स्थान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त 'अर्द्धनारीश्वर' की कल्पना भी मानव जीवन के विकास में स्त्री व पुरुष के मध्य समानता का समर्थन करती है ।अर्द्धनारीश्वर की कल्पना स्त्री और पुरूष के समान अधिकारों तथा उनके संतुलित संबंधों का परिचायक है

वैदिक काल में पुत्री के जन्म पर भी परिवार में *पुत्र* के जन्म के समान ही प्रसन्नता का वातावरण होता था। हालांकि प्रत्येक काल में *पुत्र* का जन्म अधिक वांछनीय रहा है। कन्या को पुत्र से निम्न किन्तु दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ माना जाता था। वैदिक कालीन प्रगतिशीलता के लिए वहाँ की उन्नतिशील शिक्षा व्यवस्था उत्तरदायी थी। वेदों में कहा गया है–"सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात शिक्षा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है व व्यक्ति को उदारशील बनती है, इसी कारण था वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा,एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी। महिलायें उत्सवों तथा यज्ञों में भाग लेने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थीं । स्त्री शिक्षा के महत्व के कारण ही वेदों में स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। वेदों में शिक्षा को आश्रम–व्यवस्था एवं सोलह संस्कारों के साथ जोड़ा गया है। औपचारिक शिक्षा हेतु उपनयन संस्कार के व्यवस्था स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए निर्धारित की गयी थी जो कि उपनयन संस्कार के साथ आरंभ होकर समावर्तन संस्कार के साथ समाप्त होती थी। उपनयन संस्कार (जनेऊ धारण) के पश्चात ही शिक्षा प्रारंभ थी व शिष्य और शिष्याएँ वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। बालकों के समान ही बालिकाओं का भी यज्ञोपवित होता था। वे भी मेखला धारण करती थी। पाठ्यक्रम में बालिकाओं हेतु ललित कलाओं की शिक्षा थी जी कि उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी मानी गयी थी। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए ही आवश्यक था। बालिकाएँ भी ब्रह्मचारिणी रहती थी तथा मेखला धारण करती थीं। अर्थववेद में प्राप्त वर्णन के अनुसार– "ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्"।

शिक्षा के पश्चात दो प्रकार की महिलाओं का वर्णन मिलता है :–

1. **ब्रह्मवादिनी -** आजीवन ब्रम्हचारी रहने वाली (उदाहरण –गार्गी व मैत्रेयी, ब्रह्मवादिन ममता दीर्घतमा ऋषि की माता थी।)

2. **सद्योद्वाहा -** गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली स्त्रियाँ

बुहदारण्यक में वर्णित जानकारी के अनुसार, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि से जहाँ अन्य ऋषिगण शास्त्रार्थ में पराजित हो रहे थे, वहीं गार्गी (जोकि ऋषि वचक्नु की पुत्री थी) द्वारा शास्त्रथ में भाग लिया गयाद्य यह वर्णन गार्गी की विद्धता एवं समाज में स्त्री की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक होते हुए भी समकालीन विश्व की अपेक्षा वैदिक महिलाओं की स्थिति अधिक संतोषजनक थी।

भारत की प्रमुख विदुषी महिलायें

1. अपाला : यह विदुषी मुनि वंश में उत्पन्न हुई थीं। इन्होने अनुसंद**धान** के क्षेत्र में काम किया और सोमरस की खोज की थी। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91वें सूक्त की 1 से 7 तक ऋचाओं का संकलन इनके द्वारा किया गया।

2. गार्गी : इनके पिता का नाम वचक्नु था इसी कारण इन्हें वाचक्नवी भी कहते हैं। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता है। ये वेद शास्त्रों की महान विद्वान थी। इन्होंने शास्त्रार्थ में उस युग में महान विद्वान महिर्ष याज्ञवल्क्य को हरा दिया था।

3. घोषा: ये क्षीवान् की कन्या थीं। कुष्ठ रोग होने पर भी इन्होने चिकित्सा के लिए वेद और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया। अश्विनकुमारों द्वारा इनकी चिकित्सा गयी।

4. मैत्रेयी : यह महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थीं।इन्होंने पति से ज्ञान प्राप्त किया था और फिर ज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए कन्या गुरुकुल स्थापित किए।

5. विश्ववारा : वेदों पर अनुसन्धान करने वाली महान विदुषी थीं। ऋग्वेद के पांचवें मण्डल के द्वितीय अनुवाक के अटठाइसवें सूक्त षड्ऋकों का सरल रूपान्तरण इन्होंने ही किया था।

6. अदिति: यह दक्ष प्रजापति की कन्या, महर्षि कश्यप की पत्नी तथा इन्द्र की माता थीं द्य चारों वेदों की प्रकाण्ड विदुषि थी , इन्होने अपने पुत्र को वेदों एवं शास्त्रों की अच्छी शिक्षा दी थी।

7. अरून्धती : यह ब्रहर्षि वसिष्ठ की पत्नी थीं। ये एकमात्र ऐसी विदुषी हैं जिन्होंने सप्तर्षि मंडल में ऋषि पत्नी के रूप में गौरवशाली स्थान पाया।

8. लोपामुद्रा : महर्षि अगस्त्य की धर्मपत्नी थीं। इन्होंने अपने आश्रम में राम, सीता एवं लक्ष्मण को ज्ञान की बातों की शिक्षा दी थी।

9. विद्योत्तमा : ये प्रकाण्ड विद्वान व संस्कृत साहित्यकार महाकवि कालिदास की पत्नी थी

10. सन्ध्या: यह वेदों की एक प्रकाण्ड विद्वान स्त्री थीं। ये यज्ञ विधि को सम्पन्न कराने वाली पहली महिला पुरोहित थी। इन्होंने शास्त्रार्थ में महर्षि मेधातिथि को पराजित किया। आज इन्ही के नाम पर प्रा'तः संध्या' व सायंकालीन सन्ध्या शब्द का नामकरण हुआ।

11. रोमशा : यह ब्रह्मवादिनी बृहस्पति की पुत्री और भावभव्य की धर्मपत्नी थी। इनके सम्पूर्ण शरीर में रोम थे इसी कारण, यह पति द्वारा तिरस्कृत हुई। परंतु इन्होंने ज्ञान का इस प्रकार प्रचार–प्रसार किया, जिससे नारी शक्ति में बुद्धि का विकास होता।

12. शतरूपा : यह विदुषी मनु की पत्नी तथा चारों वेदों की प्रकाण्ड विदुषी थी। जल प्रलय के पश्चात मनु और शतरूपा द्वारा पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ। ये योगशास्त्र की भी प्रकांड विद्वान और साधक थीं। इन्हे सती शतरूपा कहा जाता है।

वैदिक काल व स्त्री शिक्षा का विकासरू व ैदिक कालीन समाज में *पुत्र* और *पुत्री* दोनों को द्विजत्व प्रदान करने की परम्परा थी अर्थात् उनका उपनयन स ंस्कार होता था तथा

गुरूकुल में शिक्षा प्रदान करने हेतु भेजा जाता था। स्त्री–पुरूषों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अच्छे पुत्र व पुत्रियाँ उत्पन्न करें। उत्तर वैदिक काल तकें कर्मका.डों में जटिलता आ जाने के फलस्वरूप यज्ञ कार्यों में आडम्बर होते गए, जिसके कारण स्त्रियों की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, व आर्थिक स्थितियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगने लगा।

उत्तर वैदिक समाप्ति तथा बौद्धकाल के प्रारम्भ के साथ ही स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी प्रारम्भ हो गयी जो कि मुगल काल तक बनी रही। वैदिक काल से ही स्त्रियों की दशा में गिरावट आरम्भ हो चुकी थी परन्तु उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार नही था तथा उनके लिये पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नही थी अपितु उस काल में सह–शिक्षा ही प्रचलित थी।

बौद्वकाल व स्त्री शिक्षा का विकास

बौद्धकाल में भी महिलाओं की शिक्षा का विकास हुआ। उन्हें पुरुषों के समान मठों में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल के समान ही, इस काल में भी महिला व पुरुष दोनों को ही एक समान संस्कारों से गुजरना पड़ता था जैसे- मुंडन, भिक्षाटन, वाद–विवाद तथा वस्त्रादि। परन्तु इस काल में मठों की व्यवस्था अलग-अलग नहीं थी जिस कारण अनुशासनबद्ध व्यवस्था होने पर भी, कालांतर में स्त्री–शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आयी।

मध्य–काल व स्त्री शिक्षा का विकास

मध्यकालीन शिक्षा के स्तर का अध्ययन से स्पष्ट होता कि, मुस्लिम युग के प्रारम्भ होते ही स्त्रियों की दिशा के स्तर में पुनः गिरावट आई और गिरावट ब्रिटिश काल तक बनी रही क्योंकि ईस्ट इ.िडया कम्पनी के शाासकों को शिक्षित महिलाओं की आव'यकता नही थी। मुस्लिम युग के प्रारंभ से ही स्त्रियों की स्थिति निम्नतर होती चली गई। यद्यपि हिंदू स्त्रियों का परिवार में सम्मान था। वे शास्त्र-विद्या तथा विद्वता में अग्रणी थी, शिक्षा प्राप्त करती और समस्त धार्मिक कार्यो में भाग लेती थी। वहीं दूसरी और समाज में आम महिला में शिक्षा जो प्रसार बौद्ध काल में प्रारंभ हुआ था वह इस काल तक आते–आते समाप्त हो गया। शिक्षा मात्र उच्च कुलीन महिलाओं तक सीमित रह गइ। बालिकाओं की सुरक्षा हेतु हिंदुओ ं मे ं बेटियो ं का अल्पायु मे ं ही विवाह कर दिया लगा और इस प्रकार समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन बढा। अतः समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती चली गई। भारत में मुगलों के प्रवेश के साथ ही नारी के जीवन में संघर्ष प्रारंम्भ हो गया था। महिलाओं की शिक्षा बंद कर दी गई और वे कम उम्र में ही बाल विवाह जैसी कुरीतियों की शिकार हो गईं।

मुगलकाल में बहुविवाह का प्रचलन भी बढने लगा था। हिन्दू माता–पिता अपनी लडकी का विवाह जल्दी करना श्रेष्ठकर समझते थे जिस कारण समाज में बाल–विवाह को बढावा मिला। इससे स्त्रियां शिक्षा से वंचित हो गई तथा उनकी दशा सोचनी; होती चली गई। कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने मुगल युग को महिलाओं का अंधकार युग बताया है। लेकिन सबसे खराब स्थिति आने वाली थी। मध्यकालीन युग में स्त्रियों की निम्नतर होती स्थिति ब्रिटीशकालीन समय तक बनी रही। जब भारत में कुछ समुदायों में सती, बाल विवाह और विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गया। राजस्थान के क्षेत्र में राजपूतों में जौहर प्रथा प्रचलित हुई। बहुविवाह व्यापक रूप से प्रचलित था। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को घर के जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था।

ब्रिटिश–काल व स्त्री शिक्षा का विकास

अंग्रेजों के भारत आगमन के महिलाओं के स्थिति में यद्यपि बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारकों की बुद्धिमति सलाह के अनुसार उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं की गरिमा और गौरव को वापस लाने के लिए अनेक प्रविधान के साथ ही उनकी शिक्षा हेतु विद्यालय व विश्वविद्यालय खोले । औपनिवेशिक काल के दौरान राजा राममोहन राय, एनी बेसेंट, सोरोजिनी नायडू और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने समाज में महिलाओं का दर्जा फिर से हासिल करने के लिए अंतहीन प्रयास किए। इन सुधारकों ने सती प्रथा , बाल विवाह और बहुविवाह जैसी भयानक सामाजिक बुराइयों को दूर कर दिया।

उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और विशेष रूप से महिला शिक्षा के लिए भी संघर्ष किया। पहला प्रयास 1818 में किया गया था और बाद में 'डेविड हेयर' ने कलकत्ता में लड़कियों का स्कूल खोला। इसी प्रकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों का भी प्रारम्भ हुआ

भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मुंबई में हुई थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना महिलाओं की शिक्षा के महान उद्देश्य हेतु "करवे" द्वारा प्रयास किए गए।**1921** में पांच महिलाओं ने इस विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन् **1849** में जे. पेयजल बेथ्यून ने कलकत्ता में एक धर्मनिरपेक्ष बालिका विद्यालय की स्थापना की। उनके प्रयास को आधुनिक भारत में महिलाओं की शिक्षा की वास्तविक शुरुआत के रूप में माना जा सकता है। **1870 -71** और

1881-82 के बीच महिलाओं की शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ। इस अवधि के बहुत महत्वपूर्ण घटना महान अंग्रेजी समाज सुधारक, मिस मैरी कारपेंटर की भारत यात्रा थी। उन्होंने महिला शिक्षकों के रोजगार और प्रशिक्षण के लिए जो प्रोत्साहन दिया, उससे लड़कियों की शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला। इसने कई महिलाओं के लिए एक बहुत ही उपयोगी द्वार खोले। जिन्हें अपने जीवन को एक अर्थ और उद्देश्य देने के लिए कुछ लाभकारी व्यवसाय की आवश्यकता 1882 तक महिलाओं की माध्यमिक शिक्षा ने केवल एक शुरुआत की और महिलाएं केवल उच्च शिक्षा की दहलीज पर प्रवेश करने वाली थीं। भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बेथ्यून के स्कूल की दो छात्राएं –कादंबरी बसु व चंद्रमुखी बसु थीं जिन्होंन 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।

1916 में लेडी हार्डिंग कॉलेज की दिल्ली में स्थापना लड़कियों के लिए की गई थी। भारत सरकार की नीति महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश का पालन करना था। बंगाल और पंजाब में लड़कियों के लिए अलग मानक निर्धारित किए गए थेद्य जो लड़कों की तुलना में सरल थे। मद्रास, बंगाल,पंजाब और मध्य प्रांतों में लड़कियों को छात्रवृत्ति की पेशकश की गई।

सन **1917-19** में गठित कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने महिलाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए कुछ सिफारिशें की जिनमें लड़कियों के लिए पर्दा स्कूल एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। जिसमें 15-16 वर्ष की आयु तक शिक्षा लेने हेतु शिक्षा का प्रविधान किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा का एक विशेष बोर्ड,विशेष पाठ्यक्रम और उन्हें शिक्षकों के प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान हेतु सिफारिश की गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा का विकासः

स्वतंत्रता के बाद डॉ. राधाकृष्णन ने को–एजुकेशन कॉलेजों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान करने, लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने, लड़कियों के लिए सही दर्जा स्थापित करने, लड़कियों के लिए कुछ विशेष शिक्षा का प्रावधान करने और महिला शिक्षकों के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान करने की सिफारिश की।

भारतीय संविधान की शुरूआत के बाद अनुच्छेद- 45 में कहा गया है कि राज्य 6–14 आयु वर्ग के लिए मुफ्त, अनिवार्य, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद-16 ने सार्वजनिक रोजगार में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया और अनुच्छेद 15 (3) ने राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (दुर्गाभाई देशमुख समिति **:– 1958-59** ने विशेष रूप से महिला शिक्षा के सवाल पर विचार किया । उसने सिफारिश कीः –

1. महिलाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना

2. केंद्रीय प्रशासन में महिला शिक्षा के लिए संयुक्त सलाहकार की नियुक्ति

3. प्रत्येक राज्य में महिला संयुक्त निदेशक की नियुक्ति

4. महिला शिक्षा के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन, लड़कियों के स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति, प्राथमिक स्तर पर लड़कों और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम और माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम।

5. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए छात्रावासों, पाठ्यपुस्तकों और कपड़ों की व्यवस्था।

1962 में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर शिक्षा व शैक्षिक सुविधाएं पर विचार किया। लड़कों और लड़कियों के लिए होम साइंस और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर बाल दिया जिससे उन्हे आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

1963 में एम. भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में भक्तवत्सलम समिति की नियुक्ति की थी। समिति नें महिला शिक्षा के लिए निजी संगठन की स्थापना, लड़कियों के लिए मेजबान सुविधाएं, लड़कियों के लिए मुफ्त में पुस्तकें व कपड़े तथा पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में अतिरिक्त पारिश्रमिक हेतु सुझाव दिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कालखंडों से गुजरते हुए स्त्रियों के शिक्षा के विकास का इतिहास अनेक उतार –चदाव से गुजरते हुए आज अपने चरम स्थान पर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक योजनाओं ही द्वारा प्राथमिक से ले कर उच्च शिक्षा तक महिलाओं की हर क्षेत्र उन्नति के द्वार खुले है।

संदर्भित ग्रंथ सूची

- अल्तेकर, ए.एस. ''पोजिशन ऑफ वुमेन इन एनसियेन्ट इण्डिया'',–,स– ''पोजि'ान ऑफ वुमेन इन **, ऐन्शन्ट इंडिया** '), पृष्ठ 4-5 ;अल्तेकर)
- भटनागर, एस.,वं सक्सेना ए (2007) : 'आधुनिक भारती; **शिक्षा** और उसकी समस्या, आर लाल बुक डिपो . मेरठ . पृष्ठ स ं- 402
- चौबे,एस. पी.,(1959): भारतीय शिक्षा का इतिहास . इलाहाबाद ,राम नाराईं लाल व बेनी माधव.
- द्विवेदी जी.,: वैदिक समाज और नारी शिक्षा. International Journal of Advanced Educationa Research- Volume 2(Issue 5(Sep-2017(Page No- 410&412-
- हिरण्य हस्तमविना –––,`र;तं सुदान।। यजुर्वेद ,1–118–24
- पाठक , पी .डी : भारतीय शिक्षा का इतिहास व समस्याएं . आर लाल बुक डिपो ,मेरठ
- शर्मा, आर. एन. व शर्मा, आर। के. (1996). ' भारत में शिक्षा का विकास. अटलांटिक, नई दिल्ली।
- शर्मा व्यास,: भारत का इतिहास'. प्रारम्भ से 1200 ईस्वी तक, पृष्ठ-131
- शर्मा व्यास,रू भारत का इतिहास'. प्रारम्भ से 1200 ईस्वी तक, पृष्ठ-114. ''वैदिक एवं आर्य महाकाव्य युग में स्त्रियों की शिक्षा'' Posted on 10/22/2012 pm by mukti